बहस उभय पक्ष सुनी। पेरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया गया कि तत्समय जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट,महोदय झालावाड़ द्वारा अप्रार्थी के फोती शस्त्र अनुज्ञापत्र हेतु प्रस्तुत प्रा0पत्र पर पुलिस अधीक्षक झालावाड़ की रिपोर्ट के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया था तत्समय की गई कार्यवाही उचित थी। इस पर अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा व्यक्त किया गया कि तत्समय जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा अप्रार्थी के फोती शस्त्र अनुज्ञापत्र के प्रा0पत्र को निरस्त गलत किया गया था जबकि जिस शस्त्र अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन किया गया था वह प्रार्थी के पिता की मृत्यु उपरान्त फोती शस्त्र अनुज्ञापत्र हेतु किया गया आवेदन था उक्त आवेदन पत्र के साथ सभी औपचारिकताएं पूर्ण की गई थी व इस बाबत परिवार के सदस्यों के शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये गये थे। मात्र पुलिस अधीक्षक झालावाड़ की रिपोर्ट '' लाईसेन्स लेने का उचित आधार नही होने से लाईसेन्सं दिया जाना उचित नही है'' को आधार बनाकर फोती शस्त्र अनुज्ञापत्र का आवेदन पत्र गलत निरस्त किया गया है,शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न पुलिस अधीक्षक झालावाड़ की रिपोर्ट क्रमांक एसपीओ/झाला/डीएसबी/आर्म्स/15/7668 दिनांक 17.04.2015 अनुसार '' लाईसेन्स लेने का उचित आधार नही होने से लाईसेन्सं दिया जाना उचित नही है''दर्शित करते हुए असहमति में रिपोर्ट प्रेषित की गई थी, और तत्समय प्राप्त उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोती शस्त्र अनुज्ञापत्र का आवेदन प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है। यंहा हम यह स्पष्ट किया जाना उचित समझते हैं कि आयुध अधिनियम 1959 की धारा 13 के अन्तर्गत जिलाधिकारी को न्यायिक अधिकारी नही मानते हुए प्रशासनिक अधिकारी माना गया है व ''प्रशासनिक अधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत शासन के हित तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आयुध के अनुज्ञप्तिकरण के मामले में स्वंय के विवेकानुसार कार्य करने में सक्षम है।'' उपरोक्तानुसार तत्समय जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत फोती शस्त्र अनुज्ञापत्र का आवेदन प्रार्थना पत्र निरस्तीकरण आदेश स्वंय के विवेकानुसार कार्य करने की सक्षमता की परिभाषा में आता है। तत्समय किये गये किसी भी आदेश बाबत वर्तमान परिपेक्ष्य में कोई आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नही है। अतः पूर्व में कार्यालय द्वारा पारित आदेश क्रमांक/न्याय/15/आर्म्स/2860–63 दिनांक 01.04.2015 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2018 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड

निर्णय बईजलास निर्णय बईजलास डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी आई0ए0एस0
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़(राजस्थान)

मि0न0 35/16 तारिख दायरा: 04.04.2016

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,झालावाड़(प्रार्थी)

बनाम

ललितसिंह पुत्र स्वं0 लालसिंह जाति राजपूत नि0 ग्राम रतनपुरा थाना सारोला जिला झालावाड़ (अप्रार्थी)

प्रा0पत्र अन्तर्गत आर्म्स एक्ट

उपस्थित:– पेरोकार सरकार
श्री मुकेश जैन अभिभाषक अप्रार्थी

-: निर्णय :- दिनांक: 17.01.2018

प्रकरण न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय कोटा के निर्णय दिनांक 04.01. 2016 से पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु प्राप्त हुआ है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी के पिता के नाम 12 बोर बन्दूक सं0 7038 लाईसेन्स न0 1183/85 जारी था लाईसेन्सी के स्वर्गवास के पश्चात अप्रार्थी द्वारा विधिक वारिस के रूप में उक्त द्वारा 12 बोर गन हेतु फोती शस्त्र अनुज्ञापत्र हेतु कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट,झालावाड़ के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, उक्त आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक झालावाड़ की रिपोर्ट " लाईसेन्स लेने का उचित आधार नही होने से लाईसेन्सं दिया जाना उचित नही है" को आधार बनाकर कार्यालय के आदेश कमांक/न्याय/15/आर्म्स/2860–63 दिनांक 01.04.2015 से आवेदन पत्र निरस्त किया जाने पर आवेदक द्वारा उक्त आदेश की अपील माननीय संभागीय आयुक्त कोटा के समक्ष की जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 45/2015/अपील/आर्म्स/झालावाड़ निर्णय दिनांक 04.01.2016 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गयें।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया व अप्रार्थी को न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया ।

अप्रार्थी की और से अभिभाषक श्री मुकेश जैन उपस्थित हुए।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड़